

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज्य लोक अदालत कमिशन
न्याय अधिकारी - 2018

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

..... वनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी रावतभाटा
दोगलाल
किस्म मुकदमा जापण 128 CR Act नं. 128 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
18/5/18	<p>प्राचीन तत्र अन्तगत धारा 128 एल.भार. एच.ए. त्वा द जंच प्रस्तुत हुआ। दर्जे रजिस्टर किया जावे।</p> <p>प्राचीन दोगलाल पिता अवरलाल घोषी निवासी सिंगोली (म.प्र.) ने ग्राम बोरख स्थित शेखेदारी की आरजी नम्बर 1618, 1620, 1621, 1622, 1623 कीला 5 रकबा 1.47 हे. की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आरजी प्राचीन शेखेदारी हक से दर्जे रेकार्ड है।</p> <p>उक्त प्राचीन की ग्राम बोरख स्थित आरजी नम्बर 1618, 1620, 1621, 1622, 1623 कीला 5 रकबा 1.47 हे. की बिना किसी के फल्ले से दरबान्गामी विरोध सेटलमेंट नबसे अनुसार पत्थरगढी करणे के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी सब्जी प्राचीन पहन करेगे। कमिश्नर शुल्क 200/- रुपए अक्षरे दो सौ मात्र प्राचीन से वसूल हो। पालनाब तहसीलदार रावतभाटा को निश्चय जावे कि परतकारण को सूचित किया जाकर निगमानुसार उक्त आरजी की पत्थरगढी की जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः वेडा करे पालना जात्र हो। पञ्जाली के सल शुमार हेफर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी